बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
आदेश

संचिका संख्या–5/केस–1–107/2015(खण्ड)– 196 पटना, दिनांक– 06/03/18

श्री मनोरंजन कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, नवीनगर के विरूद्ध बिना सूचना के दिनांक–01.04.2011 से अनाधिकृत रूप से कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय आदेश ज्ञापांक–344, दिनांक–28.07.2011 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई थी। पुनः विभागीय आदेश संख्या–587–सह–पठित ज्ञापांक–588, दिनांक–30.12.2013 के द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध पूर्व में लगाये गये अनुपस्थिति के आरोप सहित अन्य आरोपों यथा प्रभार नहीं सौंपना, पदस्थापित स्थान पर योगदान समर्पित नहीं करना इत्यादि को शामिल करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।

मुख्य अभियंता–सह–जाँच संचालन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना के पत्रांक–455, दिनांक–17.06.2014 के द्वारा विषयांकित विभागीय कार्यवाही में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये कुल पाँच आरोपों को प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक–614, दिनांक–15.07.2014 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारणपृच्छा की गई। द्वितीय कारणपृच्छा अप्राप्त रहने की स्थिति में पुनः विभागीय पत्रांक–680, दिनांक–26.08.2014 के द्वारा श्री कुमार को स्मारित भी किया गया। साथ ही दिनांक–16.10.2014 को दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करते हुए श्री कुमार को द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु श्री कुमार से द्वितीय कारणपृच्छा का प्रत्युत्तर अन्ततः अप्राप्त रहा। वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त विभागीय आदेश संख्या–409, दिनांक–07.07.2015 के द्वारा श्री कुमार को आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश निर्गत किया गया।

विभाग द्वारा निर्गत सेवा से बर्खास्तगी के आदेश के विरूद्ध श्री कुमार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–14398/2015, मनोरंजन कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–22.12.2015 को न्याय निर्णय पारित करते हुए कहा गया कि वादी श्री कुमार के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड ज्यादा एवं कठोर है। वादी के विरूद्ध केवल तीन–चार वर्षो तक अनुपस्थित रहने के अलावा कोई आरोप नहीं है। वादी बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(XI) के विरूद्ध कम सजा पाने का हकदार है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–14398/2015, मनोरंजन कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–22.12.2015 को पारित उक्त न्याय निर्णय के विरूद्ध विभाग के द्वारा विधि विभाग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त कर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल०पी०ए० संख्या–1838/2016, बिहार सरकार एवं अन्य बनाम मनोरंजन कुमार दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–24.07.2017 को उक्त एल०पी०ए० संख्या–1838/2016, बिहार सरकार एवं अन्य बनाम मनोरंजन कुमार को खारिज कर दिया गया।

Abhi.order

अतः वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–14398/2015, मनोरंजन कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–22.12.2015 को पारित उक्त न्याय निर्णय के अनुपालन में निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

1. विभागीय आदेश संख्या–409–सह–पठित ज्ञापांक–409, दिनांक–07.07.2015 को आदेश निर्गत की तिथि से निरस्त किया जाता है।

2. श्री कुमार को दिनांक–01.04.2011 से 25.05.2011 तक के कर्त्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को सेवा में टूट मानते हुए No Work No Pay के रूप में विनियमित करते हुए कालमान वेतन के निम्नतम प्रक्रम पर अवनति।

6.3.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–5/केस–1–107/2015(खण्ड)– 196 पटना, दिनांक– 06/03/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.3.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–5/केस–1–107/2015(खण्ड)– 196 पटना, दिनांक– 06/03/18

प्रतिलिपिः– सचिव के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–2/आई०टी०, मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.3.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–5/केस–1–107/2015(खण्ड)– 196 पटना, दिनांक– 06/03/18

प्रतिलिपि–श्री मनोरंजन कुमार, पिता–स्व० भगवान दास, मोहल्ला–लालजी टोला, पी०ओ०+पी०एस०–गांधी मैदान, जिला–पटना/सहायक अभियंता–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, नवीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.3.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख

Abhi.order